फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 92 प्रभात जयपुर, रविवार 1 नवम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro



Separated Matlab Kya?

"Mardon ko apne bacche aur doosre ki biwi pasand aati hai." (My aunt)

Why Silk Looks Different

Hobson-Jobson and the Politics of Language

Within this linguistic project lies a broader political story. Language in colonial contexts is never neutral, it is a site of power

दस नवम्बर को सोनिया गांधी की आत्मकथा लॉन्च होगी

जैसा कि कहा जा चुका है कि खुद सोनिया गांधी को भी इस पर अच्छा खासा ''तमाशा'' होने की उम्मीद है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। सोनिया गांधी की लंबे समय से प्रतीक्षित संस्मरण पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' आखिरकार 10 नवंबर को हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। हालांकि, पुस्तक के इसके प्रकाशन से पहले ही विवाद शुरू हो गए हैं। सोनिया गांधी खुद कह चुकी हैं कि उनकी किताब से तमाशा खड़ा हो सकता है। वहीं, कांग्रेस के कुछ नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जुड़े संदर्भों के कारण इस पुस्तक पर प्रतिबंध भी लग सकता है।

भारतीय राजनीतिक हस्तियों से जुड़ी पुस्तकों पर पहले भी कभी-कभी प्रतिबंध लगाए गए हैं या उनके प्रकाशन और प्रसार पर पाबंदियां लगाई गई हैं। जसवंत सिंह की पुस्तक 'जिन्ना: इंडिया-पार्टिशन-इंडिपेंडेंस' (2009) में मोहम्मद अली जिन्ना का अपेक्षाकृत संतुलित आकलन किया गया था और जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल की भूमिका के कुछ पहलुओं की आलोचना की गई थी। इसके बाद जसवंत सिंह को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था और गुजरात में पुस्तक पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में अदालतों ने यह प्रतिबंध हटा दिया। कुछ अन्य पुस्तकों को भी संवेदनशील ऐतिहासिक या सांप्रदायिक विषयवस्तु के कारण विरोध और राज्यों में अस्थायी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है।

सोनिया गांधी की 544 पृष्ठों की यह पुस्तक उनके जीवन के सफर को समेटती है। इसमें युद्ध के बाद के इटली में उनका बचपन, 1965 में कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात, शादी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं सहित, परिवार के साथ घटी त्रासदियां, राजनीति में उनका प्रवेश और 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार करने का फैसला शामिल है।

शुरुआत में इस पुस्तक के प्रकाशन की जिम्मेदारी पेनग्विन रैंडम हाउस इंडिया को दी गई थी, लेकिन संपादकीय बदलावों को लेकर सहमति नहीं बन पाने के कारण उसने पीछे हटने का फैसला किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रकाशक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और मोदी सरकार के कार्यकाल में चीन की सीमा पर हुई कार्रवाहियों से जुड़े कुछ अंशों में बदलाव करने या उन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा था। सोनिया गांधी ने इसे आत्म-सेंसरशिप मानते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया।

हालांकि पेनग्विन ने किसी बाहरी दबाव से इनकार किया। प्रकाशक के

(शेष पृष्ठ 4 पर)

- परिपक्व प्रजातंत्र में यह एक आम एवं जायज़ बात है कि प्रशासक सत्ता छोड़ते वक्त अपने संस्मरण अवश्य लिखते हैं ताकि उस समय के हालात को समझाया जा सके।
- भारत में प्रायः ऐसे संस्मरण और किताबें विवादों में घिरते रहे हैं, उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में आई जसवंत सिंह की किताब ''जिन्ना : इंडिया पार्टिशन- इंडिपैंडैंस'' पर काफी विवाद उठा था, उन्होंने इसमें नेहरू व पटेल की भूमिका के कुछ पहलुओं की आलोचना की थी व जिन्ना की तारीफ की थी, इस पर भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और गुजरात में तो उनकी किताब कुछ समय तक प्रतिबंधित भी रही।
- उम्मीद है कि सोनिया गांधी के प्रशंसक व आलोचक उनकी किताब को भावात्मक अंदाज़ में पढ़ेंगे और उसके आधार पर अपनी राय बनाएंगे।

हाई कोर्ट के निर्णय के बाद होगी स्टेनोग्राफरों की भर्ती

जयपुर, 31 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला अदालतों और विधि सेवा प्राधिकरणों के लिए गत वर्ष आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती में नियुक्तियां देने को, याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रखा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई को टाल दिया है। चीफ जस्टिस (सीजे) संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन ने ये आदेश उपेन्द्र शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- अदालत ने कहा कि प्रचलित रूपों को त्रुटि मानकर अंक काटना निष्पक्षता व समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।

याचिका में अधिवक्ता आदेश अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय के पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की थी। याचिकाकर्ता ने स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, दोनों में पूर्ण 50-50 अंक प्राप्त किए। शॉर्टहैंड पेपर में हिंदी के समानार्थी एवं प्रचलित शब्दों जैसे ई और यी का अंतर, तथा आरोपपत्र और आरोप पत्र व उभयपक्ष और उभय पक्ष जैसे शब्दों के बीच स्पेस

(शेष पृष्ठ 4 पर)

उमर अब्दुल्लाह ने पत्रकार निधि राजदान से शादी की

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सम्पन्न इस विवाह में उमर व निधि के परिजन भी शामिल हुए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा कर मीडिया और राजनीतिक जगत को सुखद आश्चर्य में डाल दिया।

नवविवाहित जोड़े के एक करीबी सूत्र ने बताया कि दोनों की शादी शुक्रवार को विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज एक्ट) के तहत संपन्न हुई। इस मौके पर दोनों परिवारों के सदस्य बतौर गवाह मौजूद थे।

अब्दुल्ला ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ''कल एक नए सफर की शुरुआत हुई।''

वहीं, निधि राजदान ने एक्स पर लिखा, ''इट्स डन ब्रो'' (हो गया भाई)। दोनों ने अपनी पोस्ट में अंगूठी का इमोजी लगाया और एक-दूसरे को टैग भी किया।

उमर अब्दुल्ला की पोस्ट में दोनों की चार तस्वीरें थीं।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, श्रीनगर और नई दिल्ली में आयोजित शादी के समारोहों में दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए।

मौजूद लोगों में अब्दुल्ला के माता-पिता फारूक अब्दुल्ला और मॉली, उनकी तीन बहनें तथा निधि राजदान के माता-पिता शामिल थे। निधि के पिता महाराज कृष्ण राजदान वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के पूर्व प्रधान संपादक रह चुके हैं। उनकी मां का नाम सरला राजदान है।

यह घोषणा 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपसी सहमति से उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की करीब तीन महीने बाद हुई है। दोनों के बीच समझौता होने के बाद अदालत ने तलाक की मंजूरी दी थी।

उमर और पायल अब्दुल्ला की शादी 1994 में हुई थी। उनके दो बेटे जाहिर और जामिर अब्दुल्ला हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दर्ज है कि दोनों 2011 से अलग रह रहे थे और इस बात पर सहमत थे कि उनका वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुका है और अब इसे फिर से जोड़ना संभव नहीं है। समझौते के तहत, दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ लंबित सभी मुकदमे वापस लेने पर भी सहमति जताई थी।

56 वर्षीय उमर अब्दुल्ला और 49 वर्षीय निधि राजदान, दोनों की यह दूसरी शादी है।

एनडीटीवी की पूर्व कार्यकारी संपादक और समाचार एंकर निधि राजदान की इससे पहले पत्रकार और गीतकार नीलेश मिश्रा से शादी हुई थी। दोनों ने 2005 में विवाह किया था और 2007 में उनका तलाक हो गया था।

- उमर अब्दुल्लाह व निधि राजदान दोनों ने ''एक्स'' पर अलग-अलग पोस्ट कर यह जानकारी दी।
- ज्ञातव्य है कि उमर अब्दुल्लाह का उनकी पहली पत्नी पायल से 31 जुलाई को तलाक मंजूर हो चुका है। उमर के पायल से दो बेटे हैं, जाहिर और जामिर अब्दुल्ला।

भाजपा ने यूपी में 325 से 350 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया

उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में कुल 402 सीटें हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में 325 से 350 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है, साथ ही कार्यकर्ताओं से लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी करने को कहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 402 सीटें हैं।

उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आयोजित, राज्य कार्यसमिति की इस बैठक में अमित शाह मुख्य अतिथि थे। केन्द्रीय मंत्री पंकज चौधरी के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद संभालने के बाद कार्यसमिति की यह पहली बैठक थी।

कार्यसमिति के सदस्य हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने की।

डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित, पार्टी के कई प्रमुख नेता मौजूद थे।

चौधरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सभागार में 'वंदे मातरम्' और 'भारत माता की जय' के नारे गूंजते रहे।

बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और गोरखपुर के सांसद रवि किशन सहित, अन्य प्रमुख नेता भी उपस्थित थे।

भाजपा के विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ला ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई की लखनऊ में एक बैठक ली और विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार पार्टी को विजयी बनाने का आह्वान किया।
- उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की यह पहली बैठक थी।

'रोड व सीवरेज निर्माण पर जेडीए सचिव शपथ पत्र पेश करें'

जयपुर, 31 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के नारायण विहार स्थित विनायक रेज़ीडेंसी सोसाइटी के ब्लॉक 61 से ब्लॉक 67 में रह रहे 200 परिवारों को रोड और सीवरेज की आधारभूत सुविधाएं नहीं मिलने से जुड़े मामले में जेडीए सचिव से शपथ पत्र मांगा है। अदालत ने सचिव से पूछा है कि यहां रोड और सीवरेज का निर्माण कार्य पूरा होने की समय सीमा क्या है। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश स्थानीय निवासी हीरालाल गोठवाल की याचिका पर दिए।

- हाई कोर्ट ने नारायण विहार स्थित ''विनायक रेज़ीडेंसी'' के मामले में निर्देश दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता सहित, अन्य परिवारों ने ब्लॉक 61 से ब्लॉक 67 में जेडीए से साल 2005 में

(शेष पृष्ठ 4 पर)

इंडिया गठबंधन ने ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग का नाटकीय प्रदर्शन किया

बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई, जिसे संसद के सैंट्रल हॉल का रूप दिया गया था

-जॉल खंबाला-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। इसे संसद का नाटकीय प्रदर्शन न कहकर, इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजाजी मार्ग स्थित आवास पर एक बैठक आयोजित की। बैठक को संसद के सेंट्रल हॉल की तरह तैयार किया गया था, जहाँ नेता, मेजों के साथ इस तरह बैठे थे, जैसे वे संसद में हों। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ''मॉक महाभियोग'' का नाम दिया गया। इस सत्र की अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने की।

खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहली पंक्ति में बैठे थे। वहीं, भाजपा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे अब ''अपनी पसंद की संसद में बैठ रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वे चुनाव जीतने में असमर्थ हैं।'' महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की।

खड़गे ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 6 आरोप गिनाए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम करने और कथित तौर पर वोट की चोरी में मदद करने का आरोप लगाया।

इस ''मॉक'' बैठक में कई मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। यह बैठक दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की मैगा रैली से एक दिन पहले हुई। यह रैली विपक्ष के उन विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी, और अन्य संगठन भी शामिल हैं। एक नवंबर की रैली के लिए अन्य समूहों ने भी इंडिया ब्लॉक के एजेंडे का समर्थन करने की घोषणा की है। हालांकि आम आदमी पार्टी जैसे कुछ दलों ने स्पष्ट किया है कि वे इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं।

इस पूरी कार्यवाही को राहुल गांधी और अन्य पार्टी हैंडल्स के माध्यम से एक्स पर लाइव दिखाया गया। इस सत्र में राहुल गांधी ने सबसे आखिर में भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विभिन्न राज्यों में भाजपा को चुनाव जीतने में मदद की है।

मीरा कुमार ने ''मॉक'' सत्र की शुरुआत करते हुए कहा, ''आपने देखा है कि लोगों के वोट गलत तरीके से हटाए

(शेष पृष्ठ 4 पर)

- पार्टी नेताओं के बैठने की व्यवस्था संसद की तरह की गई थी। बैठक की अध्यक्षता पूर्व लोकसभाध्यक्ष मीरा कुमार ने की थी। संसदीय शैली में मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लगाया गया।
- बैठक में खड़गे ने ज्ञानेश कुमार पर 6 आरोप लगाए और देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की।
- पूरी कार्यवाही को राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के सभी ''एक्स हैंडल्स'' पर लाइव दिखाया गया।

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सेवानिवृत्त

प्रयागराज, 31 अक्टूबर। भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह 31 अक्टूबर को 42 वर्षों की विशिष्ट और गौरवशाली सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। उनके कार्यकाल में भारतीय वायु सेना की युद्धक क्षमता, परिचालन तैयारियों और आधुनिकीकरण को नई मजबूती मिली। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनके नेतृत्व में वायु सेना ने अपनी परिचालन क्षमता, सटीक कार्रवाई और राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया।

- भारतीय वायुसेना में उन्होंने विभिन्न पदों पर काम करते हुए सेना के आधुनिकीकरण में योगदान दिया।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता एवं जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर देबार्थो धर ने शनिवार को बताया कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक

(शेष पृष्ठ 4 पर)

शिखर अग्रवाल के बाद आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर भी एपीओ

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिखर अग्रवाल द्वारा निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुँचाने की जाँच शुरु की

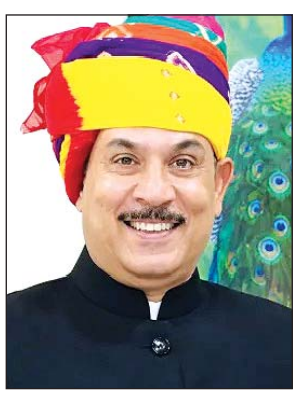
जयपुर, 31 अक्टूबर। एक निजी कंपनी से चालीस विला-कॉटेज खरीदने के विवाद में राज्य सरकार की कार्रवाही का दायरा अब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के बाद उनकी आईपीएस पत्नी डॉ. प्रशाखा माथुर तक पहुंच गया है। सरकार ने शनिवार को 1995 बैच की आईपीएस अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) प्रशाखा माथुर को भी एपीओ कर दिया। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, हालांकि आदेश में एपीओ किए जाने का कारण प्रशासनिक बताया गया है। इससे पहले 29 अक्टूबर की रात सरकार ने 1993 बैच के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को उनके सभी पदों से हटाकर एपीओ कर दिया था। अब आईएएस-आईपीएस दंपति, दोनों पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं।

डॉ. प्रशाखा माथुर 1995 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। वे 24 अक्टूबर 2025 से एडीजी पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण के पद पर कार्यरत थीं। इससे पहले वे पुलिस मुख्यालय जयपुर में आईजी, एडीजी इंटेलीजेंस सहित, कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। उन्होंने सिरोही, जयपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा, पाली और अजमेर में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी भी संभाली। मूल रूप से अजमेर की रहने वाली प्रशाखा माथुर ने एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद सिविल सेवा में प्रवेश किया। केन्द्र में प्रतिनियुक्ति के दौरान वे 2009 से 2014 तक खुफिया ब्यूरो (आईबी) में अतिरिक्त उपनिदेशक और उपनिदेशक के पद पर भी रहीं।

शिखर अग्रवाल लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनके और पत्नी प्रशाखा माथुर तथा दोनों बेटों व सास-ससुर के नाम पर एक ही निजी कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदने का मामला सामने आने के बाद से प्रशासनिक महकमे में हलचल मची हुई है। आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने पद का दुरुपयोग कर निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसी मामले में सामने आया है कि शिखर अग्रवाल के साथ प्रशाखा माथुर के नाम से भी उसी कंपनी से विला खरीदे गए थे। अनंता रिसॉर्ट के 40 विला में प्रशाखा माथुर की भी हिस्सेदारी बताई जा रही है। इनमें से कुछ संपत्तियों का उल्लेख उनके सालाना संपत्ति विवरण में किया गया है, जबकि अलवर में हुई खरीद का उल्लेख संपत्ति विवरण में नहीं होने की बात सामने आई है। इस पहलू को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि संपत्ति खरीद, हितों के टकराव और पद के कथित दुरुपयोग से जुड़े बिंदुओं की जांच के दौरान प्रशाखा माथुर की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। हालांकि, उनके खिलाफ जांच या पूछताछ को लेकर किसी आधिकारिक निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है।

एक ही परिवार के दो वरिष्ठ अधिकारियों के एपीओ होने के बाद राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

- प्रशाखा माथुर 1995 बैच की आईपीएस हैं तथा वर्तमान में एडीजी पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण, एवं कल्याण के पद पर कार्यरत हैं। पति-पत्नी दोनों को एपीओ किये जाने के बाद प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई।



शिखर अग्रवाल



प्रशाखा माथुर

मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को जांच के आदेश दिए गए हैं। एसीबी ने प्राथमिक जांच (पीई) दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है।

जेल से रिहा होते ही आजम खान ईडी की हिरासत में

रामपुर, 31 अक्टूबर। समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता आजम खान को शनिवार को रामपुर जिला जेल से रिहाई के तुरंत बाद, ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया। इस दौरान भारी संख्या में फोर्स तैनात थी। उनकी रिहाई के बाद ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने पर सपा समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है।

- हाईकोर्ट से दो पैन कार्ड के मामले में जमानत मिलने के बाद आजम खान शनिवार की शाम रामपुर जेल से बाहर आये थे।

29 अक्टूबर को दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी स्वीकार ली गई थी। शुक्रवार को कागजी कार्रवाई पूरी हुई और शनिवार शाम को उन्हें रामपुर जेल से रिहा कर दिया गया था। उनके जेल से छूटने की खबर पाकर भारी संख्या में उनके समर्थक जुटे थे। लेकिन आजम

(शेष पृष्ठ 4 पर)